



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ०राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्या: 13/15

निर्णय दिनांक:- 13.04.2018

1. मु. हाजरा पुत्री अमानुलहक जाति कोरी(कोहरी) मुसलमान निवासी जेलरोड़, बीकानेर।
 2. मु. मुन्नी पुत्री अमानुलहक जाति कोरी(कोहरी) पत्नी सुलतान मोहम्मद, गांधी नगर, हनुमानगढ़।
 3. मु. फरमाजाना पुत्री अमानुलहक जाति कोरी मुसलमान पत्नी इल्मुदीन मुसलमान इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर।
 4. मु. अख्तर
 5. मु. रजिया
 6. मु. मोहम्मद अली
 7. मु. सलमा
 8. मु. मोहम्मद
- पुत्र/पुत्रियों मु. जमीला पुत्री अमानुलहक जाति कोहरी निवासी पावर हाऊस लालगढ़ के पास रामपुरा बस्ती, बीकानेर।

—अपीलांटस्

—बनाम—

1. सराजुलहक पुत्र अमानुलहक जाति कोहरी पावर हाऊस, रामपुरा बस्ती लालगढ़ के पास, बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, बीकानेर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 14-01-2015
सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, बीकानेर

उपस्थित:-

1. श्री रणजीत सिंह बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियों, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 14-01-2015 जिसके द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध तरीके से खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 7.55 हेक्टेयर्स खातेदारी बारानी भूमि वाके रोही जोहड़बीड़ (शिवबाड़ी) तहसील व जिला बीकानेर में स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड यथा जमाबंदी में अपीलांट्स के पिता के नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त सम्पत्ति एक पैतृक पारिवारित सम्पत्ति है। जिस पर अपीलांट्स के पिता, पुत्र एवं चार पुत्रियों का अर्थात् सभी का 1/6-1/6 हिस्सा निहित होने से अपीलांट्स व रेस्पोंडेन्ट वादगत् भूमि के 1/6-1/6 हिस्से के खातेदार टिनेन्ट है। अपीलांट्स द्वारा बताया गया कि अब्दुललतीफ की वंशावली निम्न प्रकार है:-

अब्दुल लतीफ(फौत)

पिता अप्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थीगण

अमानुलहक पिता (अप्रार्थी सं. 1)	सराजुलहक पुत्र (अप्रार्थी सं.1)	हाजरा पुत्री (अप्रार्थी सं.1)	जमीला(फौत) पुत्री (अप्रार्थी सं.1)	मुनी पुत्री (अप्रार्थी सं.1)	फरजाना पुत्री (अप्रार्थी सं.1)
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------

अख्तर पुत्र रजिया पुत्री मोहम्मद अली पुत्र सलमा पुत्री मोहम्मददीन पुत्र

चूंकि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पत्ति थी ऐसी स्थिति में धर मुखिया होने के कारण अमानुलहक अर्थात् अपीलांट्स के पिता के नाम दर्ज चली आ रही थी। जबकि मौके पर अपीलांट्स व रेस्पोंडेन्ट का

बाहमी बंटवारा के अनुसार अपने हक व हिस्से पर काबिल होकर निरन्तर काश्त कर रहे है।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोजेन्ट अर्थात अपीलांट्स के पिता के मन में फर्क आ जाने के कारण उनके द्वारा गुपचुप तरीके से बिना परिवार की सलाह मशविरा के दिनांक 11-06-2014 को वादगत् भूमि अक्षरे रूपये 3,00,000/-

वादगत् भूमि वाके रोही मौजा जैसलसर तहसील लूणकरनसर के खसरा नम्बर 276 तादादी 7.59 हेक्टर भूमि पर अपीलांट की पत्नी लिछमादेवी के नाम से 5/6 व रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाते के रूप में अंकित थी। लिछमादेवी के देहान्त के उपरान्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासतन इंतकाल संख्या 104 दिनांक 09-06-2017 को अपीलांट व रेस्पोजेन्ट के नाम 1/2-1/2 हिस्सा ब-हिस्सा बराबर दर्ज किया गया। इसप्रकार अपीलांट का 5/12 हिस्सा व रेस्पोजेन्ट का 7/12 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि रेस्पोजेन्ट की खरीद शुदा भूमि नहीं है जबकि उक्त भूमि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को पारिवारिक व्यवस्था के तहत प्राप्त हुई है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट का खातेदारी रकबा है, जिस पर अपीलांट का बदस्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

विद्वान अभिभाषक ने आगे बताया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 अन्य व्यक्ति के कहने में है तथा अपीलांट को तंग व परेशान कर अपीलांट के धारण की भूमि को येन-केन-प्रकारेण अपने नाम करने पर अमादा है। अपीलांट एक वृद्ध व्यक्ति है। रेस्पोजेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक वाद धोषणा एवं चिर निषेधाज्ञात्मक अन्तर्गत धारा 88, 188क व 207

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत गलत बयानी करते हुए प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा पूर्व में वादगत् भूमि के बाबत् एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई जिसे दिनांक 07-09-2017 को कन्फर्म किया गया जो काबिल निरस्त

-3-

है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 अपीलांट की एक मात्र वारिस है तथा कालान्तर में उक्त भूमि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को ही प्राप्त होनी है। लेकिन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 अपीलांट को उसके जीवनकाल में ही तंग व परेशान कर उक्त भूमि अपने नाम करवाने पर अमादा है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट की जीविका का एकमात्र साधन यह भूमि है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में उसके हिस्से की भूमि पर न तो काश्त करने दे रही है ना ही अन्य किसी काश्तकार को ठेके पर दे पा रहा है। यहाँ तक कि कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। अपीलांट व रेस्पोजेन्ट दोनों ही अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करने हेतु स्वन्त्र है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। रेस्पोजेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोजेन्ट संख्या 1 अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोजेन्ट का विधिवत हिस्सा कायम है। अदालत मातहत द्वारा चूंकि वादगत् भूमि एक संयुक्त खाते की भूमि है तथा जिसका विभाजन नहीं हुआ है। अतः

वादगत् भूमि के दौराने वाद विक्रय किये जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला,

—4—

सुवधि का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट के पक्ष में मानते हुए वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि रोही मौजा ग्राम कुजटी तहसील लूणकरनसर के खेत खसरा नम्बर 276 तादादी 7.59 हेक्टर के वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलांट की पत्नी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता लिछमादेवी के देहान्त के उपरान्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासतन इंतकाल संख्या 104 दिनांक 09-06-2017 को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के नाम 1/2-1/2 हिस्सा ब-हिस्सा बराबर दर्ज किया गया। इस प्रकार अपीलांट का 5/12 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट का 7/12 हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादगत् भूमि में अपीलांट की पत्नी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को माता के हिस्से की भूमि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है।

(4) रेस्पोजेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड व वादगत् भूमि को दावे के निर्णय तक रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि वे वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। जबकि रेस्पोजेन्ट द्वारा वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पत्ति होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादगत् भूमि पर जन्म से ही हिस्सा निहित होने से वादगत् भूमि पर अपना 1/6 हिस्सा होना बताया गया है।

(5) प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खाते की सम्पत्ति है जिस पर हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि अपीलांट व रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को लिछमादेवी के स्वर्गवास के उपरान्त बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है।

(6) चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट/रेस्पोजेन्ट के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड व रहन, बैय नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार को अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर का आदेश दिनांक 07-09-2017 बहाल रखा जाता है
8. निर्णय आज दिनांक 13.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ०राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर